(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग खण्डवा विभागीय जानकारी)

(1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली

जिले में कुल 356 शासकीय उचित मूल्य दुकाने संचालित है जिसमें शहरी क्षेत्र में 62 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 294 कार्यरत है ।

(2) केरोसीन वितरण व्यवस्था

जिले में केरोसीन के थोक डीलर –07 एवं अध्र्द थोक –34 कार्यरत है जो जिले की उचित मूल्य दुकानों को आवंटन अनुरूप केरोसीन प्रदाय करते है ।

(3) राशनकार्ड संख्या संबंधी जानकारी

जिले में समस्त योजनाओं के क्रमशः एपीएल योजना के 186854 एवं बीपीएल योजना के 101188 एवं अन्त्योदय योजना के 27608 कार्ड इस कुल 315660 राशनकार्ड प्रचलित है ।

(4) खाद्यान्न/शक्कर प्रदाय केन्द्र

जिले में भारतीय खाद्‌य निगम का एक बेस डिपो कार्यरत है इस बेस डिपो से जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिला प्रबंधक म.प्र.स्टेट सिविल सप्लाय कार्पो0 खण्डवा व्दारा अपने तीन संचालित प्रदाय केन्द्र क्रमशः खण्डवा/हरसूद/खालवा से लीड संस्थाओं के माध्यम से सामग्री उपलब्ध होती है।

(5) लीड संस्थाऐं–

जिले में समस्त उचित मूल्य दुकानों को लीड संस्थाओ के माध्यम से खाद्यान्न/शक्कर का प्रदाय किया जाता है वर्तमान में जिले में 10 लीड समितियां कार्यरत है जो जिले की शहरी क्षेत्र में 62 एवं ग्रामीण क्षेत्रो में 107 लिंक समितियों व्दारा संचालित 294 उचित मूल्य दुकानों को सामग्री पहुंचाने का कार्य करती है।

(6) उचित मूल्य दुकानों से वितरण मात्रा

शासन से विभिन्न योजनाओं एपीएल/बीपीएल/एएवाय अंतर्गत प्राप्त आवंटन अनुसार जिले में उपभोक्ताओं को निर्धारित मापदण्ड एवं निर्धारित दर पर प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाता है – (माह जूलाई 2011)

क्र0	सामग्री का नाम	वितरण मापदण्ड	निर्धारित दर
1	गेहूं एपीएल योजना	07 किलोग्राम प्रति कार्ड	9.00 प्रतिकिलो
2	गेहूं बीपीएल योजना	32 किलोग्राम प्रति कार्ड	3.00 प्रतिकिलो
3	चांवल बीपीएल योजना	03 किलोग्राम प्रति कार्ड	4.50 प्रतिकिलो
4	गेहूं एएवाय योजना	33 किलोग्राम प्रति कार्ड	2.00 प्रतिकिलो
5	चावल एएवाय योजना	02 किलोग्राम प्रति कार्ड	3.00 प्रतिकिलो
6	शक्कर	1.800 किलोप्रति कार्ड (केवल बीपीएल/एएवाय कार्डो पर)	13.50 प्रतिकिलो
7	केरोसीन तेल	03 लीटर एपीएल कार्डो पर एवं 04 लीटर बीपीएल/एएवाय कार्डो पर	15.14 से 15.98 रूपये तक प्रति लीटर

(7) खाद्यान्न/शक्कर/ केरोसीन आवंटन विरूध्द उठाव

शासन से माह जूलाई 11 प्राप्त आवंटन प्रतिमाह हेतु निम्नानुसार है.:–

क्र	सामग्री का नाम	जुलाई 11	उठाव जुलाई 11
1	गेहूं एपीएल योजना	13000 क्विंटल	13000 क्विंटल
2	गेहूं बीपीएल योजना	30110 क्विंटल	30110 क्विंटल
3	चांवल बीपीएल योजना	3010 क्विंटल	3010 क्विंटल
4	गेहूं एएवाय योजना	9330 क्विंटल	9112 क्विंटल
5	चांवल एएवाय योजना	560 क्विंटल	552 क्विंटल
6	शक्कर	2320 क्विंटल	2320 क्विंटल
7	केरोसीन तेल	936 केएल	936 केएल

(8) समर्थन मूल्य पर गेहू खरीदी

वर्ष 2011—12 में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी हेतु शासन व्दारा खरीदी मूल्य रूपये 1270/—प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है । जिले में 41 खरीदी केन्द्रो के माध्यम से जिले को प्राप्त लक्ष्य 1.00 लाख मे.टन के विरूध्द 104552.42 मे.टन गेहूं की खरीदी की गई है खरीद मात्रा का पूर्ण भण्डारण हो चुका है ।

(9) गैस एजेसी

जिले में 07 गैस एजेंसी संचालित है जिसमे बीपीसी के 04, एपीसी के 02 एवं आयओसी कंपनी के 2 कार्यरत है खण्डवा नगर में 05, नर्मदानगर 01, एवं हरसूद 01 है। वर्तमान में 7—10 दिनों का बेकलाक चल रहा है ।

(10) डीजल/पेट्रोल पंप

जिले में विभिन्न कंपनियों की कुल 35 पेट्रोल/डीजल पंप संचालित है ।

(11) केरोसीन भंडारण हेतु टेंकर का क्रय

जिले को वर्ष 2009—10 हेतु रूपये 12.00 लाख का आवंटन केरोसीन भंडारण हेतु टेंकर क्रय करने हेतु प्राप्त हुआ था जिसमें 37 टेंकर 3 केएल क्षमता के एवं 4 टेंकर 4 के.एल.. क्षमता के क्रय कर उचित मूल्य दुकानों को उपलब्ध कराये जाकर केरोसीन भंडारण हो रहा है। इसी प्रकार वर्तमान में वित्त वर्ष 2010—11 हेतु जिले को पुनः रूपये 10.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है जिसमें विभिन्न उचित मूल्य दुकानों में केरोसीन संग्रहण हेतु 37 टेंकर 3000 लीटर क्षमता के क्रय किये जाकर संबंधित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को प्रदाय किये जा चुके है ।

(12) आवश्यक वस्तु अधिनियम अंतर्गत कार्यवाही

जिले में अधिनस्थ अधिकारियेां व्दारा समय—समय पर आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है जिसमें विभाग व्दारा विगत एक वर्ष (अप्रेल 10 से जूर्न 11 तक) के दौरान बनाये गये प्रकरण एवं उसमें जप्तशुदा सामग्री संबंधी जानकारी निम्नानुसार हैः —

बनाये गये प्रकरण			जप्तशुदा सामग्री मूल्य	अर्थदण्ड राशि
उ.0मू0दु0	ई0सी0एक्ट	कुल		
25	35	70	2377146.00	31662

(13) जिला स्तरीय /विकास खण्ड /उचित मूल्य दुकान स्तरीय निगरानी समिति

जिले में जिला स्तर पर जिला स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण निगरानी समिति/विकास खण्ड स्तर स्तर पर विकास खण्ड स्तरीय निगरानी समिति एवं उचित मूल्य दुकान स्तर पर उचित मूल्य दुकान स्तरीय सर्तकता समितियों का गठन किया गया है जिसकी समय—समय पर बैठके आयोजित की जाती है

(14) लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010—

जिले में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत स्थानीय निकायों/तहसीलदारों एवं जिला स्तर पर सहायक आपूर्ति अधिकारी व्दारा कुल एपीएल —872 बीपीएल—552 राशनकार्ड जारी किए गए है

(14) जिले में खाद्य विभाग के कार्यपालिक पदों की स्थिति —

क्रमांक	नाम पद	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	जिला आपूर्ति अधिकारी	01	01	—
2	सहायक आपूर्ति अधिकारी	03	02	01
3	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी	08	0	08